

सुरुचि नारी शक्ति सम्मान समारोह आज



भोपाल, 07 मार्च. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आठ मार्च रविवार को सुरुचि नारी शक्ति सम्मान समारोह नवभारत प्रेस परिसर में अपराह्न चार बजे से आयोजित किया जाएगा।

कार्यालय जनपद पंचायत मेघनगर जिला झाबुआ म.प्र.

क्र. / ज.प. लेखा / 2026/3279 मेघनगर, दिनांक 06.03.2026

:: रिटेण्डर निविदा आमंत्रण विज्ञापन ::

कलेक्टर महोदय जिला झाबुआ का आदेश क्रमांक /प.क. /1/778098/2026 / झाबुआ दिनांक 01.02.2026 अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / सा. न्याय / 2026 / 2349 / दिनांक 23.02.2026 को जारी की गई थी, जिसमें टेण्डर व्यवस्था हेतु दस डीएम एवं डीन कैमरा एवं सी.सी.टी.वी कैमरे की निविदा जारी नहीं होने से एवं भोजन व्यवस्था हेतु मात्र एक निविदा प्राप्त होने से एवं लाईट व्यवस्था हेतु एक भी निविदा प्राप्त नहीं होने से पुनः निविदा जारी की जाती है।

अतः आप दिनांक 11.03.2026 तक निविदा बंद लिफाफे में जनपद पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं शेष जानकारी के लिए जनपद पंचायत कार्यालय मेघनगर से सम्पर्क करें।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत मेघनगर

कार्यालय छवनी परिषद्, महू

छवनी क्षेत्र की ईमली फलों को तोड़ने हेतु निलामी सूचना

कार्यालय छवनी परिषद्, महू द्वारा छवनी क्षेत्र में स्थित ईमली फलों को तोड़ने हेतु वर्ष 2026 2027 के लिए दिनांक 20.03.2026 को सायंकाल 04.00 बजे तक छवनी परिषद् के आवेदन प्रारूप मय आधार कार्ड की छयाप्रति सहित सील बन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कोटेशन के साथ रूपये 5,000 /- धरोहर राशि ई-छवनी के माध्यम से ऑनलाईन eChhawan citizen site through m - Collect चालन के द्वारा छवनी निधि खाते में जमा कर रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर राशि की रसीद संलग्न नहीं होने की अवस्था में कोटेशन स्वीकार नहीं किया जावेगा। सील बंद कोटेशन दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 11:30 बजे कोटेशन आवेदन कर्ताओं के सम्मक्ष खोले जायेंगे।

सूचना / संशोधन / पुनः आमंत्रण इत्यादी की जानकारी केवल छवनी परिषद्, महू को बेबसाइट www.mhow.cantt.gov.in के माध्यम एवं कार्यालय के सूचना पटल से प्रदान की जावेगी। किसी भी प्रकार का स्थानीय अवकाश / समस्त कोटेशन को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार छवनी परिषद् अपने पास सुरक्षित रखता है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय के राजस्व विभाग से कार्यालयीन समय में सम्पर्क करें

मुख्य अधिशासी अधिकारी
महू छवनी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
खरगोन शाखा
पता : 31-32, राधावल्लभ मार्केट, खरगोन - 451001

परिधि IV (अचल संपत्ति हेतु) आधिपत्य सूचना (नियम 8(1) (अचल संपत्ति हेतु))

जबकि, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खरगोन शाखा के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम - 2002 (2002 का नं. 54) की धारा 13(12) संपटित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणी/बंधकर्ता/जमानतदार मेसर्स गीताश्री इंटरनेशनल फ्यूचर्स (प्रोप्रायटरी लिमिटेड), श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पिता अमर सिंह बैस (प्रोप्रायटरी), श्री अमर सिंह बैस पिता सुखदेव सिंह बैस एवं मोहन कुमार सुर्यवंशी पिता गंवालाल सुर्यवंशी को दिनांक 01/12/2025 को मांग सूचना जारी कर सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अन्दर उक्त सूचना में दी गई ऋण राशि रु. 28,29,290.81 (रुपये अठाईस लाख जनतीस हजार दो सौ नब्बे एवं इक्यासी पैसे मात्र) का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया था।

चूंकि ऋणी ने संपूर्ण अदायगी में त्रुटि की है अतः ऋणी को विशेषतः एवं आम जनता को साधारणतः उत्तुद द्वारा सूचना दी जाती है कि अयोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13(4) संपटित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक 02.03.2026 को प्राप्त कर लिया है।

ऋणी/जमानतदारों/बंधकर्ताओं तथा समस्त जनता को साधारणतः सतर्क किया जाता है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करे तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया हो तो वह बकाया राशि रु. 28,29,290.81 एवं उस पर ब्याज के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खरगोन शाखा के अधीन होगा।

ऋणी/जमानतदारों/बंधकर्ताओं का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
1. संपत्ति - 1: सर्वे नंबर 40/3 एवं 343/1, पटवारी हल्का नंबर 23 पर आवासीय प्लॉट नं. 51 का हिस्सा, नगर परिषद क्षेत्र, वार्ड नंबर 4, महालक्ष्मी नगर, ग्राम महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन. क्षेत्र माप: पूर्व-पश्चिम 55 फीट, उत्तर-दक्षिण 15 फीट, कुल क्षेत्रफल 825 वर्गफीट (76.67 वर्ग मीटर). संपत्ति के मालिक और बंधकर्ता: श्री मोहन कुमार सुर्यवंशी पिता श्री गंवालाल सुर्यवंशी. चतुर्सीमा: उत्तर: प्लॉट नंबर 50, दक्षिण: प्लॉट नंबर 51 का शेष भाग, पूर्व: अन्य प्लॉट, पश्चिम: कॉलोनी की सड़क

2. संपत्ति - 2: सर्वे नंबर 67/10 पर आवासीय प्लॉट नंबर ए-11/3, नगर पालिका क्षेत्र सनावद, वार्ड नंबर 13, नर्मदा विहार कॉलोनी, कन्या सनावद, पटवारी हल्का नंबर 50, तहसील सनावद, जिला खरगोन, क्षेत्र माप: पूर्व-पश्चिम 11 फीट, उत्तर-दक्षिण पूर्वी तरफ 43 फीट एवं पश्चिमी तरफ 42.08 फीट, कुल क्षेत्रफल 471.16 वर्गफीट (43.78 वर्ग मीटर). चतुर्सीमा: उत्तर: 7.5 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण: नाला, पूर्व: प्लॉट नंबर ए-11/2, पश्चिम: प्लॉट नंबर पी-11/6. संपत्ति के मालिक और बंधकर्ता: श्री अमर सिंह बैस पिता श्री सुखदेव सिंह बैस.

दिनांक: 02.03.2026
स्थान: खरगोन

प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित

कल्याण राज्य मंत्री - स्वतंत्र प्रभार- कृष्णा गौर मौजूद रहेंगी. विशिष्ट अतिथि के तौर पर महापौर मालती राय और कांग्रेस नेता एवं पूर्व महापौर विभा पटेल उपस्थित रहेंगी. कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरुचि की संपादक पूजा माहेश्वरी करेंगी. आयोजन में मुख्य रूप से पॉड कास्टर अनुष्का तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता पूरम श्रोत्री, जनजातीय कलाकार - चित्रकार- भूरी बाई, सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय नेहा बग्गा, पर्वतारोही मेघा परमार, महिला उद्यमी आशा दावानी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी, डाइरिजियन वर्षा श्रीवास्तव, कंटेस्ट क्रिएटर सुमिता सिरोटिया, शिक्षाविद ऊषा खरे, चिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ रेणु शर्मा, बिजनेस वीमेन प्रमिला इन्वैर और बेगम्स ऑफ भोपाल क्लब की अध्यक्ष खरशां शमीम जाहिद को सम्मानित किया जाएगा.

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नंबर 103, पहली मंजिल, सी एंड वी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गांव चकला, अमेरी-कुर्ला रोड, अमेरी (एन), मुंबई-400059।

कच्चा नोटिस (सुरक्षा हित के नियम 8(2) के अनुसार (प्रवर्तन) नियम, 2002)

उधारकर्ताओं का नाम और पता और मांग नोटिस की तिथि	संपत्ति का विवरण और कच्चे की तिथि	कच्चा नोटिस में मांगी गई राशि (रु.)
1. भरत शिव, 2. डाला बाई, 3. शिव सिंह, 4. धारू बाई, पता: सर्वे संख्या 30/2/3, ग्राम सुवरकोटा (सॉफ्टो), तहसील-ताराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश-465001। ऋण खाता संख्या SBFLC/APO00093066 (PRO1597865) मांग सूचना दिनांक: 26 नवंबर 2025	प्लॉट/मकान क्रमांक 30/2/3, ग्राम सुवरकोटा, तहसील ताराना, जिला उज्जैन, क्षेत्रफल 1290 वर्ग फुट, मध्य प्रदेश 465001। सीमाएं: पूर्व में दुले सिंह का मकान, पश्चिम में स्वयं की भूमि, उत्तर में सड़क, दक्षिण में अंतर सिंह का मकान। प्रतीकात्मक कच्चे की तिथि: 6 मार्च 2026	रु. 1730173/- (सत्रह लाख तीस हजार एक सौ तिरहतर मात्र)। 19 नवंबर 2025 तक और 20 नवंबर 2025 से अब तक का बकाया ब्याज।
1. राहुल कुमार, 2. जानकी रावोर, पता: मकान/प्लॉट संख्या 286, घर संख्या 41, न्यू 27, क्षेत्रफल 3600 वर्ग फुट, ग्राम दुधाना, तहसील मोहन, बड़ोदिया, जिला राजपुर-465 226। ऋण खाता संख्या 1000594064 (PRO1628181)। मांग नोटिस की तिथि: 26 नवंबर 2025	वह संपत्ति जो मकान/प्लॉट संख्या 286, मकान संख्या 41, न्यू 27, क्षेत्रफल 3600 वर्ग फुट, ग्राम दुधाना, तहसील मोहन, बड़ोदिया, जिला राजपुर-465 226 में स्थित है। उपरिष्ठ संपत्ति की सीमाएं:- पूर्व की ओर- बद्रीलाल का मकान, पश्चिम की ओर- सत्य नारायण का प्लॉट, उत्तर की ओर- सड़क, दक्षिण की ओर- रामचंद्र का प्लॉट। प्रतीकात्मक कच्चे की तिथि: 06 मार्च 2026	रु. 1412958/- (चौदह लाख बारह हजार नौ सौ अठारह मात्र)। 19 नवंबर 2025 तक और 20 नवंबर 2025 से अब तक का बकाया ब्याज।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है।

स्थान: उज्जैन/शाजापुर/मध्य प्रदेश, दिनांक: 08.03.2026

एसडी/ अधीकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय कलेक्टर जिला खरगोन (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक: 0014/अ-82/2025-26
खरगोन, दिनांक: 02.03.2026

क्रमांक: 310/भू-अर्जन/2026

प्रारंभिक अधिसूचना

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013”

(क्रमांक 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा- 11
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समादात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण हेतु	निजी भूमि 6.5992 हेक्टर शासकीय भूमि 0.2286 हेक्टर
योग :-	6.8278 हेक्टर

अनुसूची-1

(1) भूमि का विवरण
(क) जिला :- खरगोन
(ख) तहसील :- महेश्वर
(ग) ग्राम :- खारिया
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 6.5992 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जित रकबा (हेक्ट.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	59/1/1	0.4813	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर
2	59/2/1	0.0592		
3	36/1	0.4924		
4	36/2	0.7862		
5	58/1	0.0080		
6	37/1	0.2107		
7	37/2	0.0500		
8	37/4	0.0103		
9	38/1	0.1074		
10	38/2	0.1195		
11	38/3	0.1232		
12	39/1	0.3954		
13	32/1/1/1	0.2753		
14	32/1/1/2			
15	39/2	0.0246		
16	32/1/2/1	0.5609		
17	32/1/2/2			
18	32/2	1.0584		
19	32/3	0.2543		
20	31	0.6992		
21	33/6	0.0043		
22	30/1/2	0.3657		
23	24/2	0.0097		
24	24/3	0.5032		
कुल रकबा			6.5992	

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग मण्डलेश्वर के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग मण्डलेश्वर कार्यालय में देखा जा सकता है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार हस्ता./- (भव्या मित्तल)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. माध्यम/124803/2026

म.प्र. शासन राजस्व विभाग, जिला खरगोन (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला-खरगोन (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0007/अ-82/2025-26
खरगोन, दिनांक : 02.03.2026

क्रमांक/336/भू-अर्जन/2026

प्रारम्भिक अधिसूचना

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समादात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

विवरण	अनुसूची (1) अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण हेतु	निजी भूमि 3.7768 हेक्टर शासकीय भूमि 0.4268 हेक्टर
योग :-	4.2036 हेक्टर

अनुसूची (2)

(1) भूमि का विवरण
(क) जिला :- खरगोन
(ख) तहसील :- महेश्वर
(ग) ग्राम :- पालसुद
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 3.7768 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	81/2	0.0225	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर
2	83/3	0.2055		
3	83/1	0.1262		
4	83/2	0.8515		
5	257/1	0.7616		
6	257/2	0.8080		
7	257/4	0.0613		
8	257/5	0.0239		
9	257/6	0.0010		
10	257/12	0.0512		
11	259/1/1	0.3627		
12	259/2/1	0.1365		
13	259/2/2	0.1431		
14	259/374/1/2	0.0417		
15	259/374/1/1	0.0502		
16	259/374/2	0.1299		
कुल रकबा			3.7768	

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग मण्डलेश्वर के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग मण्डलेश्वर कार्यालय में देखा जा सकता है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार हस्ता./- (भव्या मित्तल)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. माध्यम/124820/2026

म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खरगोन (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक: 0020/अ-82/2025-26
खरगोन, दिनांक: 02.03.2026

क्रमांक/324/भू-अर्जन/2026

प्रारम्भिक अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समादात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।